देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर

क्रमांक / रासेयो / 2022–23 / 287 दिनांक :– 01 / 11 / 2023

प्रति,

प्राचार्य / निदेशक / विभागाध्यक्ष
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर से सम्बद्ध
समस्त शासकीय / अशासकीय महाविद्यालय

विषय :– स्वीप पार्टनर के तहत मतदाता संबंधी प्रचार–प्रसार गतिविधियों के संचालन के संबंध में निर्देश।

संदर्भ :– विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी उच्च शिक्षा म.प्र. भोपाल का पत्र कमांक / 1633 / 512 / आउशि / शा–5'अ' / 2023 भोपाल, दिनांक 31.10.2023।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त संदर्भ एवं विषयान्तर्गत लेख है कि, आगामी विधानसभा चुनाव निर्वाचन 2023 के अंतर्गत मतदाता जागरूकता गतिविधियों (स्वीप) के संचालन हेतु आपके संस्थान / विभाग / महाविद्यालय में ईएलसी का गठन किया गया है। **ELCs** की एग्जीक्यूटिव कमेटी में शिक्षक नोडल अधिकारी, कैम्पस एम्बेसेडर (छात्र / छात्रा), मेंटर शिक्षक (पुरूष–महिला) को भी नामांकित किया गया है।

विश्वविद्यालय, से सम्बद्ध समस्त शासकीय / अशासकीय महाविद्यालय / संस्थानों में **ELCs** के मनोनीत अधिकारिय एवं सदस्यों की प्रत्येक सप्ताह के शुकवार को एक बैठक आयोजित की जाना है। जिसमें आपके संस्थान के बड़े सभागार एवं कक्ष में फलेक्स इत्यादि लगाकर बैठक का आयोजन होना है एवं बैठक उपरांत प्रतिवेदन एवं छायाचित्र संबंधित प्राचार्य, अग्रणी महाविद्यालय को प्रत्येक शनिवार उपरान्ह 03 बजे तक प्रेषित किया जाना है।

एग्जीक्यूटिव कमेटी में शिक्षक नोडल अधिकारी द्वारा विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / संस्थान के समस्त छात्र / छात्राओं द्वारा एवं **Electroral Literacy Clubs** के सदस्यों द्वारा **cVIGIL App** डाउनलोड कर **cVIGIL App** में पंजीकृत करवाना है।

समस्त शासकीय / अशासकीय महाविद्यालय / संस्थानों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं को संयुक्त रूप से शामिल करते हुये संकायवार 50–50 विद्यार्थियों को **ELCs** सदस्य दिनांक 02.11.2023 तक मनोनीत करने का कष्ट करें।

संलग्न :– (1) **cVIGIL App link :-**
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.nic.eci.cvigil

संलग्न :– (2) संदर्भित पत्र।

कुलसचिव

प्रतिलिपि :–

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल की सूचनार्थ।
2. नोडल अधिकारी स्वीप एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
3. जिला निर्वाचन अधिकारी जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
4. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, इन्दौर सम्भाग, मोती तबेला इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
5. निज सचिव मा. कुलपति देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
6. निज सहायक कुलसचिव देवी अहिल्या विश्वविद्यायल, इन्दौर की ओर सूचनार्थ।

कार्यकम समन्वयक, रासेयो

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

क्रमांकः 1633 / 512 / आउशि / शा–5'अ' / 2023 भोपाल, दिनांक 31 / 10 / 2023

प्रति,

1. कुलसचिव,
   समस्त विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
2. सचिव,
   निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल ।
3. प्राचार्य,
   समस्त शासकीय / अनुदान प्राप्त अशासकीय / निजी अशासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।

817
01/11/2023

विषय– स्वीप पार्टनर के तहत मतदाता जागरूकता संबंधी प्रचार–प्रसार गतिविधियों के संचालन के संबंध में निर्देश।

संदर्भ– (1) कार्यालय का पत्र क्रमांक 1398 / 508 / आउशि / शा–1 / 2023,भोपाल, दिनांक 05.10.2023
(2) कार्यालय का पत्र क्रमांक 1400 / 508 / आउशि / शा–1 / 2023,भोपाल, दिनांक 05.10.2023

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के अनुक्रम में निम्नानुसार कार्यवाही की जाना सुनिश्चित की जाए :–

1. विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में **Electoral Literacy Clubs (ELCs)** का गठन किया गया है। **ELCs** की एग्जीक्यूटिव कमेटी में शिक्षक नोडल अधिकारी, कैम्पस एम्बेसेडर (छात्र–छात्रा), मेंटर शिक्षक (पुरूष–महिला) को भी नामांकित किया गया है।
2. समस्त विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में **ELCs** के मनोनीत अधिकारियों एवं सदस्यों की प्रत्येक सप्ताह में शुक्रवार को बैठक आयोजित की जाए। विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में बैठक का आयोजन बड़े सभागार एवं कक्ष में फ्लेक्स इत्यादि लगाकर किया जाए। बैठक का प्रतिवेदन छायाचित्र सहित संबंधित प्राचार्य, अग्रणी महाविद्यालय को प्रत्येक शनिवार अपरान्ह 03.00 बजे तक प्रेषित किया जाए। संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक द्वारा एकजाई जानकारी प्रत्येक सोमवार अपरान्ह 03.00 बजे तक ई–मेल **sveep.coord@gmail.com** पर प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
3. एग्जीक्यूटिव कमेटी में शिक्षक नोडल अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि **Electoral Literacy Clubs** के सदस्यों ने **cVIGIL app** डाउनलोड कर लिया है।
4. प्रत्येक विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं को संयुक्त रूप से शामिल करते हुए संकायवार 50–50 विद्यार्थियों को **ELCs** सदस्य दिनांक 02.11.2023 तक मनोनीत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
5. समस्त प्राचार्य, अग्रणी महाविद्यालय क्षेत्राधिकार के समस्त शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में बिन्दु क्रमांक 3 एवं 4 से संबंधित कार्यवाही की संमेकित जानकारी एकत्र कर संधारित करेगें । कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा को पालन प्रतिवेदन का एक प्रमाण–पत्र दिनांक 04.11.2023 तक ई–मेल **sveep.coord@gmail.com** पर प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

31/10/23

(डॉ0 धीरेन्द्र शुक्ल)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल

N-S.S.
1.11.23

निरन्तर........2,

पृ. क्रमांकः 1634/512/आउशि/शा–5'अ'/2023 भोपाल, दिनांक 31/10/2023

प्रतिलिपि–

1. उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश निर्वाचन सदन,17, अरेरा हिल्स,भोपाल।
2. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश।
4. निज सहायक,कुलपति, समस्त विश्वविद्यालय,मध्यप्रदेश।
5. अध्यक्ष, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग,भोपाल।
6. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, शाखा–01, उच्च शिक्षा संचालनालय, भोपाल।
7. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश ।
8. प्राचार्य, समस्त अग्रणी महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।

..........की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल